

# उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

## फर्द अहकाम

23/11/25 पत्रावली पिरा दुई। वाट. वाट. आवाज  
 डिलाने के उपरान्त भी सापलान एवं उनके अधिकार  
 उपर नही हुए। इसलिए मु० नं. 104/2022 उन्वानी  
 कुल डी प्र. वर्ग 0 वनाम जग्गा वर्ग 0 प्रार्विता वर  
 अस्पाई निषेधांतर अडम पैरवी अडम हाजरी  
 में खारिज किया जात है तथा उक्त प्रकरण में  
 दिनांक 3/6/2022 को जारी अनिश्चित स्वगत  
 आदेश विद्वां कि प्र जाते हैं। पत्रावली के माल  
 सुभार होकर वाट लडगील नम्बर से कम  
 की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिशन  
 रहे। आदेश कुले न्यायालय में सुमादागमा।

उपखण्ड अधिकारी  
 हिण्डौन सिटी (करोली)